Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue IV December 2022

केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय संबंधों का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. रमेश सिहं कुशवाह

प्रस्तावना

एक संघात्मक प्रणाली की सफलता के लिए केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय संसाधन पर्याप्त होना आवश्यक है। इनकी सहायता से वे अपने-अपने संवैधानिक दायित्वों का भलीभांति पालन कर सकते है। वित्तीय स्वतंत्रता होने पर ही राज्यों की स्वायत्तता और प्राधिकार कायम रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संघात्मक संविधानों के अंतर्गत राज्यों को दिए गए राजस्व के साधन पर्याप्त न होने से उन्हें केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है। स्विट्ज़रलैंड के संघात्मक संविधान में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। वहां अपर्याप्त राजस्व साधन होने से केन्द्र, राज्यों पर निर्भर रहता है।

अमेरिका में राजस्व साधनों का केन्द्र और राज्यों में न्यायपूर्ण वितरण के संघात्मक सिद्धांत का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है किन्तु कालांतर में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित होते ही राज्यों के कार्यों में बेतहासा वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप राज्यों को केन्द्रीय अनुदान पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। इससे अमेरिका में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का विकास हुआ और राज्यों की स्वायत्तता कम हुई।

हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि केन्द्र और राज्यों के वित्तीय संबंध लचीले हों ताकि बदलती हुई आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन बनाया जा सके। किसी दूसरी संघात्मक प्रणाली में ऐसी कोई विस्तृत व्यववस्था नहीं है जिससे केन्द्र एवं राज्यों में राजस्व के वितरण का समय और आवश्यकता के अनुकूल समायोजन हो सके। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने 1935 की व्यवस्था अपनाकर निस्संदेह इस जटिल क्षेत्र में सही दिशा और तरीका अपनाया है।

राजस्व का एक बुनियादी सिद्धांत मान्य है कि किसी कर का आरोपण या संग्रहण विधि के प्राधिकार के बगैर नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत कर आरोपण करने वाली विधि संविधान के किसी प्रावधान के प्रतिकूल नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए कर मनमाना या भेदभावपूर्ण होने पर समानता के मूल अधिकार के विपरीत होने पर समानता के मूल अधिकार के विपरीत होकर असंवैधानिक है।

किन्तु ध्यान रहे अनुच्देद 265 का प्रतिबंध केवल करों पर लागू है शुल्क पर नहीं। कर लोक प्राधिकारी द्वारा लोक प्रयोजन के लिए विधि द्वारा प्रभावशील एवं अनिवार्य धन वसूली है जबकि शुल्क सेवा के बदले किया गया भुगतान है।

किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क किसी विशिष्ट सेवा के लिए लिया जाए। यदि शुल्क देनेवाला सामान्य लाभ प्राप्त करता है तो सेवा प्राप्त करने का तत्व पूरा हो जाता है।

नगर निगम हैदराबाद द्वारा होटल लायसेंस शुल्क में वृद्धि, प्रदत्त सेवा से सीधा संबंध न होकर भी यह वैध है। शुल्क विनियात्मक या प्रतिकारात्मक में से कोई या दोनों हो सकता है। यह शुल्क केवल होटल मालिकों को प्रदत्त सुविधाओं के लिए ही नहीं अपितु उनके द्वारा आवास भोजन और स्वच्छता की गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी है।

भारत की संचित निधि

भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्वों की एक निधि है। इस निधि से कोई धनराशि संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही आहरित या व्यय की जा सकती है।

संघ और राज्यों में राजस्वों का वितरण

संघ और राज्यों में राजस्व वितरण की व्यवस्था कर सकता है। राज्यसूची 3 में वर्णित विषयों पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों को और संघ सूची 1 में वर्णित विषयों पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार केन्द्र

सरकार को है। समवर्ती सूची 2 में कुछ ही करों का उल्लेख है। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य राज्यसूची के अंतर्गत वसूले गए कर को अपने पास रखते है जबकि केन्द्र सरकार संघ सूची के अधीन वसूले गए करों में से कुछ कर पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्यों को वितरित कर देती है। ऐसे कर निम्नानुसार है-

1. संघ द्वारा उद्ग्रहीत, किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहीत और विनियोजित शुल्क।
2. संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहित, किन्तु राज्यों को सौंपे गए कर।
3. अंतर्राज्यीय व्यापार पर माल एवं सेवा कर।
4. संघ द्वारा उद्ग्रहीत और केन्द्रशासित राज्यों को वितरित कर।
5. राज्यों द्वारा बढ़ाया गया अतिरिक्त अधिभार संचित निधि का भाग।

राज्यों के केन्द्र द्वारा 3 प्रकार के अनुदान निम्नानुसार हैं-

1. पटसन पर निर्यात शुल्क के एक भाग का सहायक अनुदान
2. आवश्यकतानुसार संसदीय विधि के अंतर्गत राज्यों का सहायक अनुदान और
3. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए संघ या राज्यों द्वारा अनुदान

1. संघ द्वारा उद्ग्रहीत किन्तु राज्यों द्वारा संग्रहीत और विनियोजित शुल्क

संघ सूची में वर्णित विषय स्टाम्प ड्यूटी भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत होगी किन्तु इसका संग्रहण और उपयोग राज्य करेंगे।

2. संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहित किन्तु राज्यों को सौंपे गए कर

संसद द्वारा सन् 2000 में 80वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 269 के खण्ड (1) और (2) को हटाकर नए खण्ड जोड़ दिए गए हैं। नए खण्ड (1) के अनुसार जी.एस.टी. (अनुच्छेद 246 (क) माल एवं सेवा कर) को छोड़कर माल के अंतर्राज्यीय क्रय, विक्रय और पारेषण पर कर का आरोपण और वसूली केन्द्र सरकार करेगी और नए खण्ड (2) द्वारा निर्धारित रीति से उसे गत दिनांक 1 अप्रैल 1996 से राज्यों को सौंप दिया माना जाकर यथार्थ पर गणना कर सौंपा जाएगा। इस अनुच्छेद में माल की परिभाषा से समाचार पत्रों को अलग रखा गया है। केन्द्रशासित राज्यों को छोड़कर ऐसे कर आगम संचित निधि के भाग नहीं होंगें। जी.एस.टी. जिन राज्यों से उद्ग्रहीत है। संसदीय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से उन्हीं राज्यों को सौंप दिया जाएगा।

3. अंतर्राज्यीय व्यापार पर माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

अंतर्राज्यीय व्यापार में माल और सेवा का उद्ग्रहण और संग्रहण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाकर उसे केन्द्र एवं राज्य में संसदीय विधि द्वारा निर्धारित रीति से वितरित कर दिया जाएगा। यह राशि भी संचित निधि का भाग नहीं होगी। आयात पर भी जी.एस.टी. इसी प्रकार प्रभावी होगी।

4. संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत संघ और राज्यों को वितरित कर

संविधान के 80 वें संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा पुराना अनुच्छेद 270 विलोपित कर नया अनुच्छेद उपबंधित किया गया है। गत दिनांक 1 अप्रैल 1996 से भूतलक्षी प्रभाव द्वारा अनुच्छेद 268, 269 और 269 (क) को छोड़कर संघ सूची में वर्णित विषयों पर समस्त कर एवं शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहित किए जायेगें। खण्ड 2 द्वारा निर्धारित रीति से इन्हें संघ और राज्यों में विभाजित एवं वितरित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 246 (क) के खण्ड 1 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा संग्रहीत कर भी खण्ड 2 में निर्धारित रीति से संघ और राज्यों में वितरित किए जाऐंगे। विभाजन की रीति और प्रतिशत वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। केन्द्रीय करों और शुल्कों का 29 प्रतिशत राज्यों को देने की व्यवस्था की गई है।

5. **संघ द्वारा प्रयुक्त कर**

   यदि अनुच्छेद 269 और 270 की किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार करों और शुल्कों (जी.एस.टी. अनुच्छेद 246 (क) को छोड़कर) में अधिभार लगाकर उन्हें बढ़ाती है तो वह भारत की संचित निधि का भार होगा।

6. **राज्यों को केन्द्र सरकार से अनुदान**

   प्रत्येक संघात्मक संविधान में अपने व्यापक कर्तव्यों के भलीभांति पालन करने में समर्थ बनाने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को अनुदान की व्यवस्था रहती है। संविधान के अधीन केन्द्र द्वारा राज्यों को तीन प्रकार के अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है जो कि निम्नानुसार है-

   a. **पटसन निर्यात पर सहायक अनुदान**

      असम, बिहार और पश्चिम बंगाल को पटसन से निर्मित माल के निर्यात से आगम का एक भाग सहायक अनुदान के रूप में दिया जाएगा। उल्लेखिनीय है कि उक्त माल इन्हीं राज्यों में उत्पन्न होता है।

   b. **अजा/अजजा एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए सहायक अनुदान**

      संसद विधि बनाकर राज्यों को सहायक अनुदान देगी जिन्हें आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशि निर्धारित की जाती है। भारत सरकार की अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान की योजनाओं को क्रियान्वित करनेवाले राज्यों को भी यह अनुदान दिया जायगा।

   c. **सर्वाजनिक प्रयोजन के लिए अनुदान**

      केन्द्र सरकार या राज्य सरकार दोनों संसदीय विधि या राज्य विधि के प्राधिकार के बगैर भी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते है।

स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों में राज्य सरकारों की बहुत सीमा तक केन्द्र सरकार के अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है और यहां भी केन्द्र को प्रमुखता है।

राज्यों की कर आरोपण शक्ति पर निर्बंधन

राज्य, राज्य के बाहर माल या सेवा के प्रदाय पर कर नहीं लगा सकता। इसके अतिरिक्त माल या सेवा के भारत आयात करने या भारत से निर्यात पर राज्य नहीं केन्द्र ही कर लगा सकेगा।

संदर्भ-

1. प्रो. ई.एस. कारविन, ऑन ज्यूडिशियल रिव्यू इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल साइन्सेस, खण्ड 8
2. डी.डी. बसु, कमेन्टरी ऑन द कांस्टिटयूशन ऑफ इण्डिया, खण्ड 1
3. डॉ. एम.पी. जैन कांस्टिटयूशन लॉ ऑफ इण्डिया
4. पइली, कांस्टिटयूशन गवर्नमेंट इन इण्डिया
5. डी.डी. बसु, इंट्रोडक्शन टु द कांस्टिटयूशन ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 141